*अभिभाषण - **श्रीमती राबड़ी देवी,** मुख्य मंत्री, बिहार*
49वीं राष्ट्रीय विकास परिषद् बैठक, 1 सितम्बर, 2001, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

सम्मानीय प्रधान मंत्री जी, योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण एवं पदाधिकारीगण

21वीं सदी की पहली पंचवर्षीय योजना दशम पंचवर्षीय योजना तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श के लिए आपने राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक बुलाई है उसके मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

2. इस बैटक में विचार के लिए पांच मुद्दे रखे गए हैं। एक मुद्दा राष्ट्रीय विकास परिष्द की उस उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार से संबंधित हैं जिसे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए निधि आवंटन के मापदंड निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस समिति की अनुशंसा है कि इस कार्य के लिए जो मानदण्ड निर्धारित है वह 1993-94 के विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर आधारित हैं तथा वह नवम पंचवर्षीय योजना काल तक चले। इसका पुनरीक्षण दसवीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण के समय हो। तदनुसार योजना आयोग में इस हेतु एक दूसरा विशेषज्ञ दल गठित किया गया है जो 1999-2000 के गरीबी के आंकड़ों के आलोक में अपनी सिफारिश देगा।

3. उपसमिति के प्रतिवेदन से विदित होता है कि टास्क फोर्स के एवज में सन 1993-94 के विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को आधार बनाने के बाद कुछ राज्यों के निधि आवंटन में कमी आयी। इन राज्यों की संख्या 8 थी जिनमें बिहार भी सम्मिलित था। जिन राज्यों को कम राशि आवंटित हुई उनके ज्ञापन पर योजना आयोग ने विचार किया और यह निर्णय हुआ कि जिन राज्यों को ज्यादा हानि हुई है उनकी हानियों को 15 प्रतिशत तक सीमित किया जाए। जिन राज्यों के हिस्सों में थोड़ा अंतर आया है उन्हें पूर्ववत् छोड़ दिया जाय तथा बाकी राज्यों को दोनों आधारों में से जो कम राशि है उससे कम न दिया जाय। इन नवीन आधारों पर निधि का आवंटन 1998-99 से चल रहा है और अब प्रस्ताव है कि इसे नवीं योजना की बची अवधि तक चालू रखा जाय। इस व्यवस्था में तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश को हुई क्षति की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गयी। मैं नहीं समझती कि 15 प्रतिशत तक हानियों की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय किस आधार पर लिया गया। मेरे विचार में इस समायोजन को नवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में नहीं बदलना चाहिए था। हमारी अपेक्षा है कि अब जो विशेषज्ञ दल बना है वह अपनी अनुशंसा करने के पहले सभी राज्य सरकारों से राय मशविरा करेगा।

4. दूसरा मुद्दा राष्ट्रीय विकास परिषद की उस उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार से संबंधित है जिसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को विलीन, समाप्त अथवा राज्यों को हस्तांतरित करने की बात है। तदनुसार ऐसी योजनाओं की पहचान केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में चल रही है और यह काम दसवीं योजना के प्रारम्भ से पूर्व कर लिया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के परीक्षण के बाद संभव है कि कुछ योजनाओं को चालू रखा जाय, कुछ को बंद कर दिया जाय तथा कुछ को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाय। हमारी राय है कि योजनाओं के बाद होने अथवा राज्यों को हस्तांतरित होने की स्थिति में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये राज्यों को विभिन्न योजनाओं के मानदण्ड के अनुसार मिलने वाली कुल राशि में कोई कमी नहीं होनी चाहिए तथा चालू रखी जाने वाली योजनाओं के विवरण के निर्धारण में राज्य सरकार को पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए।

5. तीसरा बिन्दु नवम योजना के मध्यावधि मूल्यांकन प्रतिवेदन पर विचार से संबंधित है। यह मूल्यांकन अध्ययन सन् 2000 में किया गया था तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई थी।

इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के सूचनार्थ उपस्थापित किया गया है। इस प्रसंग में मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस अध्ययन के 30वें अध्याय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जिसमें विकास के विभिन्न सूचकों में राज्यों के बीच व्याप्त अंतर को दर्शाया गया है। यह अंतर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, गरीबी के प्रतिशत, साक्षरता, अनुमोदित योजना उदव्ययों के आधार पर हुए खर्चों के स्तर तथा विदेशी-सहायता के उपयोग आदि से संबंधित है। इनके संबंध में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो। इस संदर्भ में बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता है। दिशा-पत्र की चर्चा करते हुए मैं इसके संबंध में कुछ और कहूंगी।

6. अब मैं कार्यावली के उन मुद्दों पर कुछ कहना चाहूंगी जो दसवीं योजना के दिशा-पत्र तथा उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। दिशा-पत्र में दसवीं योजना के लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने संबंधी कार्यक्रमों का जिक्र है। दशम पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किये गय है। एक आगामी योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि प्राप्त करना तथा दूसरा कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिनका समय-समय पर अनुश्रवण संभव है। इसमें गरीबी उन्मूलन, राजगार सृजन, आबादी नियंत्रण, लिंग भेद का निराकरण, सम्पूर्ण साक्षरता, मातृ तथा शिशु मृत्यु दरों में कमी जैसे कार्य सम्मिलित हैं।

7. सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए विनियोग दर को 32.6 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात है। यह विनियोग दर इसीलिये आवश्यक है क्योंकि पूंजी एवं उत्पाद का अनुपात 4.1 माना गया है। प्रस्तावित विनियोग दर को प्राप्त करने के लिये सकल घरेलू बचत की दर 29.8 प्रतिशत तक लाने की आवश्यकता बताई गई है। शेष 2.8 प्रतिशत विदेशी बचत से प्राप्त होने का अनुमान है।

8. मेरी दृष्टि में देश की अगली पंचवर्षीय योजना के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य प्रशंसनीय है। परन्तु उसे प्राप्त करना दुरूह है। इस आशंका का कारण यह है कि निर्धारित लक्ष्य से पूर्व का जो आधार बताया गया है वह वास्तविक नहीं है। उदाहरण के लिऐ आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की दर 6.5 प्रतिशत मानी गयी है पर वह प्राप्य नहीं लगती है। नवम पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि पाई गई है वह 6 प्रतिशत से कम है। उसी प्रकार विनियोग दर के 27.8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू बचत दर 26.3 प्रतिशत होने की जो बात कही गई है वह भी घटित नहीं होने वाली है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2000.01 के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में विनियोग की जो दर पाई गई है उसका औसत 23.8 प्रतिशत है। उसी प्रकार सकल घरेलू बचत के जिस स्तर को हम छू सके हैं वह मात्र 22.6 प्रतिशत है जबकि नवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 26.1 प्रतिशत है। इस प्रकार नवम पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर में लगभग 5 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है। इसे योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन में भी स्वीकारा गया है। सकल घरेलू बचत की दर में भी कुछ कमी प्रत्याशित है। आधार वर्ष में इंगित विकास, विनियोग तथा बचत दर के कम होने के कारण मुझे लगता है कि इन समूलों (एग्रिगेट्स) के दशम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं।

9. सकल घरेलू बचत की बढ़ी हुई दर के अप्राप्य रहने का दूसार प्रमुख कारण हमारी नीतियाँ रही हैं। उदारीकरण की नीति के तहत पिछले कुछ वर्षों में हमने सूद की दरों में 3-4 प्रतिशत की कमियाँ की हैं। उनके चलते उन निवेशकों को परेशानी हुई है जो ऋण-निधियों में निवेश करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब सूद की दरें घटती हैं तो शेयरों के मुनाफों में तेजी आती है। ऐसी स्थिति में निवेशक शेयर आदि में अपना धन लगाते हैं। दुर्भाग्यवश, पिछले वर्षों में शेयरों के भावों में काफी उतार-चढ़ाव आया है। इस

स्थिति के लिए तेजड़िये तथा मंदड़िये दोषी हैं। वे बाजारों को अपने हितों की रक्षा के लिए बढ़ाते-घटाते हैं। फलस्वरुप निवेशकों को हानि होती है। इस प्रसंग में यूनिट ट्रस्ट तथा पूंजी बाजार में हुई घटनाएं जग-जाहिर हैं। अतः इन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि सन् 1993-94 में तेजड़ियों ने पूंजी बाजार में जो हलचल लाई थी। उसकी जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। परन्तु उसकी सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं हुआ। इस बार भी मंदड़ियों के कारनामों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनी है। मैं आशा करती हूं कि इस बार समिति द्वारा अनुशासित सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ताकि देश के निवेशकों, खासकर छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके। मेरी यह भी राय है कि पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली जो संस्था (सेक्यूरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) कार्यरत है उसको और सबल तथा प्रभावकारी बनाया जाना चाहये। इसके साथ ही वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन में समुचित सुधार लाया जाना चाहिये। तभी निवेशकों की आस्था उनके प्रति बढ़ेगी और वे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जब तक यह सब नहीं होता, बचत दर में वृद्धि संभव नहीं जान पड़ती।

10. आयोग का प्रस्ताव है कि सकल घरेलू बचत में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिये विदेशी बचत की सहायता ली जानी चाहिये। दशम योजना में इसका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत रखा गया है। नवम पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत था। इस लक्ष्य की भी पूर्ति संभव नहीं जान पड़ती क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विदेशी पूंजी के आयात में कमी आई है। इस कारण दशम योजना में विदेशी बचत प्राप्त करने का लक्ष्य संदिग्ध जान पड़ता है।

11. दिशा-पत्र में यह भी आशंका व्यक्त की गयी है कि प्रस्तावित विकास दर की प्राप्ति हेतु आवश्यक विनियोग तथा बचत की प्राप्ति न हो। इस कमी को दूर करने के लिये दिशा-पत्र में विद्यमान पूंजी की कार्यशीलता में वृद्धि लाने की सिफारिश की गयी है। इसके लिये जो सुझाव दिये गये हैं उसमें चालू अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने, विद्यमान परिसम्पत्तियों के संरक्षण हेतु योजना निधियों का प्रयोग करने, गैरसंवेदनशील तथा घाटे में चल रहे सरकारी उद्योगों का विनिवेश करने, राज्यों को परियोजना आधारित सहायता उपबंध कराने जैसे प्रस्ताव सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति, परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण में होने वाले वैधानिक तथा प्रतिक्रियात्मक विलम्ब को दूर करने, उद्योगों को दिवालिया घोषित करने अथवा बंद करने एवं श्रमिक कानूनों में संशोधन करने जैसे प्रस्ताव भी है

12. मैं इस बात से सहमत हूं कि नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व चालू योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। यह सुझाव भी स्वीकार योग्य है कि विभिन्न योजनाकालों में हमारी जो परिसंपत्तियां बनी हैं, उनकी संरक्षा के लिए योजना राशि का भी उपयोग किया जा सकता है। यह उललेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार के बजट में योजना एवं गैरयोजना के अंतर के कारण विसंगतियों की गुंजाइश रहती है। योजना का आकार बढ़ाने के लिए गैरयोजना मद के खर्चों में इस तरह की कमी की जाती है जिससे कि उनके रख-रखाव के लिये न्यूनतम आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं हो पाती। फलस्वरुप एक ओर योजना के माध्यम से नई परिसंपत्तियों बनाने पर जोर दिया जाता है तथा दूसरी ओर पूर्व में निर्मित परिसंपत्तियों को विनष्ट होने दिया जाता है। अतः मेरी राय है कि इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। इस विषय पर भारत सरकार में विचार हो रहा है। इस बिन्दु पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय होना चाहिए।

13. दूसरा प्रस्ताव गैरसंवेदनशील तथा घाटे में चल रहे सरकारी उद्योगों को बंद करने अथवा निजी स्वामियों को हस्तान्तरित करने से संबंधित है। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार गैर-संवेदनशील किसे मानती है। अब तो रक्षा संबंधी उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में भी निजी उद्योगों की भागीदारी प्राप्त करने का विचार हो रहा है। बहुत सारे सरकारी उद्योग एवं प्रतिष्ठान इसलिए बंद हो रहे हैं या अलाभप्रद हो गये हैं क्योंकि उनके पास पूंजी तथा कुशल प्रबंधन का अभाव है। यदि उन्हें यथेष्ठ पूंजी तथा कुशल प्रबंधन दिया जय तो वे लाभकारी हो सकते हैं। मेरी राय है कि इस बिन्दु पर गहन विचार किया जाना चाहिए जो लाभप्रद हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो श्रमिकों की भारी छटनी होगी तथा बहुत सारी परिसंपत्तयाँ निजी मुनाफाखोरों के हाथ चली जायेगी। योजना के प्रारंभिक वर्षों मे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी गयी थी। सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विकासशील देशों एवं राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलापों की महत्ता अभी भी बनी हुई है।

14. केन्द्र से राज्यों को जो वित्तीय सहायता मिलती है उसे परियोजना आधारित करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके लिये त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना, त्वरित ग्रामीण पेय जल परियोजना तथा त्वरित विद्युत विकास परियोजना का उदाहरण दिया जा रहा है। मैं इस सुझाव से सिद्धान्ततः सहमत हूं। पर कहना चाहती हूं कि इससे पिछड़े तथा गरीब राज्यों को हानि होने की संभावना है। पिछड़े राज्यों में परियोजना तैयार करने की क्षमता का अभाव है जिसके फलस्वरुप वे स्वीकृति योग्य परियोजनाएं तैयार नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें देशी या विदेशी सहायता भी नहीं मिल पाती। अतः इस प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे पिछड़े राज्यों को परियोजना तैयार करने में सहायता हो।

15. यह भी प्रस्ताव है कि निजी विनियोग की कुशलता बढ़ाने के लिये देश के श्रमिक कानूनों में संशोधन किया जाय। इस संबंध में कुछ विचार वित्त मंत्री के 2001-2002 के बजट भाषण में भी दिये गये थे जिससे लगता है कि सरकार रखो और हटाओ की नीति अपनाना चाहती है। मेरी राय है कि श्रम कानूनों में ऐसा कुछ संशोधन नहीं किया जाना चाहिए जिससे श्रमिकों के हितों की हानि हो। निजी उद्योगों में तालाबंदी आदि के निर्णय को भी उद्योगपतियों पर नहीं छोड़ देना चाहिए तथा ऐसे निर्णयों में सरकार की भागीदारी रहनी चाहिए।

16. जहां तक विदेशी तकनीक की बात है वह श्रम-मितव्ययी है। इस कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती है। पिछले कुछ वर्षों मे विदेशी तकनीक अपनाये जाने के कारण देश में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अतः ऐसी तकनीक का चयन किया जाए जिससे न्यूनतम श्रम विस्थापन हो।

17. विदेशी तकनीक के अपनाने के कारण हमारी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कोई वृद्धि नहीं जान पड़ती। सूचना प्रौद्योगिकी को छोड़कर हमें विदेशी बाजार में बहुत कुछ नहीं मिला है। विश्व निर्यात में हमारी भागीदारी मात्र दशमलव 5 प्रतिशत तथा 6 के बीच रही है। दूसरी ओर हमारे बाजार विदेशियों को मिल गये है। फलस्वरुप हमारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। अतः हमें वेष्वीकरण की नीति के बारे में भी पुनर्विचार करना चाहिए तथा उनमें इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए ताकि देश के उद्योग-धंधों में मंदी नहीं आवे।

18. दसवीं योजना का जो अनुश्रवणीय (मानिटरेबुल) लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें गरीबी उन्मूलन, आबादी नियंत्रण, साक्षरता वृद्धि आदि सम्मिलित हैं। इन घटकों में अन्तर्राज्यीय भिन्नताएं हैं। इन्हें दूर करने के लिए दिशा-पत्र में जो उपाय प्रस्तावित है उसके मुताबिक प्रत्येक राज्य के लिए पृथक-पृथक योजना बनाई जायेगी जिसमें उनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास का लक्ष्य, उसकी संभावनाएं

तथा सीमाएं, उनके निष्पाद में सुधार आदि की चर्चाएं भी रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो योजना के विभिन्न प्रक्षेत्रों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। मैं इस कदम का स्वागत करना चाहूंगी क्योंकि यह कदम विद्यमान योजना-पद्धति से कुछ भिन्न जान पड़ता है। विद्यमान योजना पद्धति में राष्ट्रीय लक्ष्यों के आलोक में ही लक्ष्यों का निर्धारण तथा संसाधनों का वितरण होता है। इसमें राज्य विशेष की समस्याएं गौण हो जाती हैं। अतः यह कदम स्वागत योग्य है। पर इस पर अमल करते समय राज्यों की परियोजनाओं के चयन की स्वाधीनता का हनन नहीं होना चाहिये।

19. मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि पिछले पचास वर्षों में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की बात होती रही है किन्तु इस दिशा में बहुत कुछ नहीं हो सका है, राज्यों के बीच विषमताएं बढ़ी हैं और बढ़ती जा रही हैं। इसका एक कारण तो यह है कि उदारीकरण की नीति के तहत विकास की धाराओं को उन्मुक्त व्यापार तथा बाजार पर छोड़ दिया गया है। दूसरा कारण राज्यों की योजनाओं को उनके संसाधनों तक सीमित रखने की परम्परा है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं अपनाये गये हैं। नवम योजना के प्रथम खण्ड की कंडिका 1.41 में कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में पिछड़े राज्यों में आधारभूत सुविधाओं के सृजन पर जोर दिया जायेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय प्रतिष्ठानों के बिहार में हुए निवेश में काफी कमी हुई है। बिहार सरकार बारंबार केन्द्र सरकार से आग्रह करती रही है कि वह राज्य की बाड़ की समस्या का निदान नेपाल सरकार का सहयोग लेकर ढूंढे। राज्य में सिंचाई,ऊर्जा तथा परिवहन जैसी सुविधाओं के सृजन में मदद करें, पर इस संबंध में अब तक कुछ नहीं हो पाया है।

20. दिश-पत्र में यह इंगित किया जा रहा है कि भविष्य में केन्द्रीय सहायता निष्पादन आधारित होना चाहिये। यह उल्लेख्य है कि केन्द्रीय सहायता की वर्तमान व्यवस्था में निष्पादन को 7.5 प्रतिशत का भारांक तो पहले से ही है। इस निष्पादन के घटक में कर-प्रयास, वित्तीय प्रबंधन और आबादी नियंत्रण तथा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा वयस्क शिक्षा के सार्वभौमिकीरण, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समय पर सम्पूर्ण और भूमि सुधार जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति के घटक सम्मिलित हैं। अतः मेरी राय में केन्द्रीय सहायता के घटकों के आधार में और परिवर्तन अनावश्यक है। यदि उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक है तो यह कि उसे गरीब राज्यों के हित में मोड़ा जाय। इस संबंध में सरकारिया कमीशन की सिफारिशों से कुछ सबक लिया जा सकता है। इस कमीशन ने सिफारिश की थी कि राज्य-विशेष की समस्याओं को दृष्टि में रखकर केन्द्रीय सहायता के ऋण एवं अनुदान के घटकों मे परिवर्तन किया जाना चाहिए।

21. प्रधान मंत्री जी, मैं एक और बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वह बैंकों की निवेश नीति से संबंधित है। बिहार के लोग विपन्नता के बावजूद कुछ पैसा बचाकर बैंकों में रखते हैं। पर बैंक इस पैसे का उपयोग राज्य में नहीं कर अन्यत्र करते हैं। फलस्वरूप राज्य में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 21.32 प्रतिशत है जबकि पूरे देश का अनुपात 58.53 प्रतिशत है। इसे रोका जाना चाहिए। इस समस्या का निदान हम वर्षों से ढूंढ़ रहे हैं। इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया था। उन्होंने टास्क फोर्स भी गठित किया। उसकी सिफारिशें भी आई, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया इस समस्या का समाधान निकालें ताकि बिहार जैसे गरीब राज्य को अपनी गाढ़ी कमाई का लाभ मिल सके।

22. कार्यावली मद सं0-4 में उत्तरांचल को विशेष श्रेणी राज्यों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के समर्थन में पांच आधार दिए गए हैं। एक यह कि इस राज्य का 90 प्रतिशत क्षेत्रफल पर्वतीय है जहां कुल आबादी के दो तिहाई लोग निवास करते हैं। इस राज्य का एक तिहाई

क्षेत्रफल, हिमाच्छादित अथवा अनुत्पादक भूमि है। दूसरा यह कि आबादी का घनत्व कम है तथा उसमें जनजातियों की संख्या 3 प्रतिशत है। तीसरा यह कि इसकी सीमा विदेशी राज्यों से सटी हुई है और इसकी अवस्थिति संवेदनशील क्षेत्र में है। चौथा यह राज्य आर्थिक तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं में पिछड़ा है। वहां आवागमन कठिन है, कुशल श्रमिकों का अभाव है, उत्पादन खर्च अधिक है एवं सामान्य सेवाओं का प्रावधान मंहगा है। पांचवा यह कि राज्य का जो गैर-योजना राजस्व है उसमें 1738 करोड़ रूपयों का घाटा है। राज्य पर कर्जों के लिए 450 करोड़ रूपयों का जो सूद अदा करना पड़ता है वह इसकी राजस्व प्राप्तियों का 39 प्रतिशत तथा गैर-योजना राजस्व का 15 प्रतितश है। फलस्वरूप यह राज्य कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा सूद की अदायगी में अक्षम है। इसके संसाधनों को सबल बनाने पर जरूरत है, पर इसमें समय लगने की संभावना है। अतः इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

23. विशेष श्रेणी राज्यों में पात्रता रखने वाले राज्यों को सम्मिलित करने की पहल निश्चय ही एक उपयुक्त कदम है। मैं प्रधान मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार वर्षों से आग्रह करती रही है। परन्तु इस बिन्दु पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार विभाजन के बाद शेष बिहार की स्थिति नाजुक हो गयी है। नेपाल से सटी हुई इसकी उत्तरी सीमा 700 कि0 मी0 लम्बी है। पूर्व में बंगलादेश की सीमा सन्निकट है जहां विदेशियों की घुसपैठ होती रहती है। इस तरह यह राज्य भी भूराजनैतिम दृष्टि दुस्साध्य रहता है। बाढ़ के बाद अधिकांश भूमि जलजमाव की समस्या से ग्रसित रहती है। राज्य का काफी क्षेत्रफल चौर, टाल और दियारा रहने के कारण अनुत्पादक भूमि में परिणत हो गया है। आबादी के घनत्व की दृष्टि से पूरे देश में बिहार का स्थान सातवां है। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कुल आबादी का 15.47 प्रतिशत है। साक्षरता में इसका स्थान 31वां है। राज्य में सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में न्यूनतम है और राज्य की आबादी में गरीबों का अनुपात उड़ीसा को छोड़कर सर्वाधिक है। सन् 2001-02 के बिहार के बजट में राजकोषीय एवं राजस्व घाटे की राशि क्रमशः 3397.35 करोड़ एवं 1354.12 करोड़ रूपये आंकी गई है। राजस्व मद में अवशेष (बीसीआर) की राशि (-) 1130.28 करोड़ आंकी गई है। इस वित्तीय वर्ष में सूद में 2736.48 करोड़ रूपये की राशि का व्यय अनुमानित है। यह राजस्व प्राप्ति का 23.65 प्रतिशत तथा गैर-योजना राजस्व व्यय का 25.81 प्रतिशत है। अतः मेरा अनुरोध है कि बिहार को भी आप विशेष श्रेणी के राज्यों की सूची में सम्मिलित करें।

24. राष्ट्र के विकास हेतु दिशा-निर्देशन में राष्ट्रीय विकास परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा है, इस मंच पर उठाये गये मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार होगा एवं अगली पंचवर्षीय योजना में इस विचार का स्पष्ट प्रतिफलन दृष्टिगोचर होगा।

धन्यवाद।